प्रशान्त वर्मा
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14- अशोक मार्ग, लखनऊ-01
Email : directorcomm@uppcl.org
Tel No. – (0522) 2287806 (O)
CIN:- U32201UP1999SGC024928

संख्या:-501 /मु0अ0(वाणिज्य)/वा0-1/सी0-1/   दिनांकः-29/09/,2025

कार्यालय-ज्ञाप

विद्युत प्रदाय संहिता 2005 यथासंशोधित के खण्ड 4.43 में सार्वजनिक प्रकाश के अतिरिक्त अन्य विधाओं के विद्युत उपभोक्ताओं के संयोजनों की भार वृद्धि किये जाने का प्राविधान है।

एतदद्वारा उपभोक्ता सेवाओं के अधिक सरलीकरण हेतु विद्युत उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भार वृद्धि करने की सुविधा दिये जाने के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 1232/मु0अ0(वाणिज्य)/वा0-1/सी0-1/ दिनांक 25.11.2024 द्वारा निर्गत SOP में संशोधन किये गये हैं।

पात्र उपभोक्ता श्रेणी के लिये ऑनलाइन भार वृद्धि की प्रक्रिया की नवीन संशोधित SOP संलग्न है।

इस सुविधा का लाभ लेने के लिये उपभोक्ता द्वारा यथा आवश्यक प्रपत्र / संलग्नक अपलोड करते हुये ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।

(प्रशान्त वर्मा)
निदेशक (वाणिज्य)

संख्या:-   /मु0अ0(वाणिज्य)/वा0-1/सी0-1/तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0. लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त / वितरण / वाणिज्य / कारपोरेट प्लानिंग/आई0टी0) उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), समस्त डिस्काम ।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र) ।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण) ।
10. अधिशासी अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन) कक्ष संख्या-407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
11. कट फाइल ।

(प्रशान्त वर्मा)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांकः-501/ मु0अ0 (वाणिज्य) / वा0-1/सी0-1 दिनांक: 24/09/2025 का संलग्नक)

ऑनलाइन भार वृद्धि की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सितम्बर 2025 (संशोधित)

1. उपभोक्ता द्वारा www.uppcl.org पर उपलब्ध लोड परिवर्तन अनुरोध के लिन्क पर क्लिक किया जायेगा। जिससे उपभोक्ता सेवाओं हेतु बनाये गये ऑनलाइन पोर्टल का लॉगिन पेज प्रदर्शित होगा।
2. प्रदर्शित किये गये लॉगिन पेज पर रजिस्टर्ड उपभोक्ता द्वारा लॉगिन किया जायेगा। यदि उपभोक्ता द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, तो उपभोक्ता को सर्वप्रथम https://www.uppclonline.com पर ऑन-लाइन प्रदर्शित Consumer Registration Process के अनुसार रजिस्ट्रेशन करना होगा।
3. उपभोक्ता द्वारा लॉगिन करने के पश्चात् उपभोक्ता सेवाओं में दिये गये विकल्पों में से भार वृद्धि का चयन किया जायेगा।
4. उपभोक्ता को विद्युत संयोजन की वर्तमान भार व श्रेणी स्वत प्रदर्शित की जायेगी।
5. यदि उपभोक्ता के संयोजन पर वर्तमान में विद्युत बिल बकाया है तो उपभोक्ता को संदेश प्रदर्शित किया जायेगा-

   "कृपया विद्युत बकाया धनराशि रू० का पूर्ण भुगतान करने के उपरान्त ऑनलाइन भार वृद्धि की प्रक्रिया आरम्भ करने का कष्ट करें। विद्युत बकाया धनराशि जमा करने हेतु यहाँ क्लिक करें।"

   विद्युत बकाया जमा करने के पश्चात ही आनलाइन भार वृद्धि प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है।

6. यदि उपभोक्ता के संयोजन पर वर्तमान में विद्युत बिल बकाया नहीं है तो उपभोक्ता द्वारा वाछित भार वृद्धि (कि०वा०) का चयन किया जायेगा।
7. मीटरिंग वोल्टेज 11 के०वी० (सामान्यत 50 कि०वा0 से ऊपर) में परिवर्तित होने की स्थिति में उपभोक्ता के पास लाइन निर्माण कराने हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होगे-

   i. उपभोक्ता द्वारा स्वयं (सुपरविजन पर)
   ii. वितरण खण्ड द्वारा (Deposit Work के रूप में)

   मीटरिंग वोल्टेज में परिवर्तन व लाइन निर्माण की आवश्यकता के सम्बन्ध में निर्णय वितरण खण्ड द्वारा लिया जायेगा।

8. भार वृद्धि हेतु उपभोक्ता द्वारा लॉगिन किये जाने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर आवश्यक दस्तावेज अपलोड किये जा सकेंगे। आवश्यक दस्तावेजों का विवरण निम्न तालिकानुसार है-

क्र0सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	भार वृद्धि के उपरान्त कुल भार	व्यक्तिगत बन्ध पत्र	B&L फार्म	विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र	अनुबन्ध पत्र
1	LMV-1	25 KW से कम	Yes	No	No	No
		25 KW से 50 KW तक	Yes	No	No	Yes
		50 KW से अधिक	Yes	No	Yes	Yes
		25 KW से कम	No	Yes	No	No
		25 KW से 50 KW तक	No	Yes	No	Yes

2	LMV-2 & LMV-4	50 KW से अधिक एवं 75 KW से कम	No	Yes	Yes	Yes
		75 KW तथा उससे अधिक	इस भार हेतु उपभोक्ता की विधा LMV-2 & LMV-4 के स्थान पर HV-1 में परिवर्तित होगी। अतः आवश्यक दस्तावेज तालिका में HV-1 विधा के अनुसार। क्रमांक-5 देखे।			
3	LMV-6	50 KW तक	No	Yes	No	Yes
		50 KW से अधिक एवं 75 KW से कम	No	Yes	Yes	Yes
		75 KW तथा उससे अधिक	इस भार हेतु उपभोक्ता की विधा LMV-6 के स्थान पर HV-2 में परिवर्तित होगी। अतः आवश्यक दस्तावेज तालिका मे HV-2 विधा के अनुसार। क्रमांक-5 देखे।			
4	LMV-11	25 KW से कम	No	Yes	No	No
		25 KW से 50 KW तक	No	Yes	No	Yes
		50 KW से अधिक	No	Yes	Yes	Yes
5	HV-1 & HV-2	75 KW तथा उससे अधिक	No	Yes	Yes	Yes

a. **व्यक्तिगत बन्ध पत्र/B&L फार्मः-** उपभोक्ता द्वारा भरी गयी जानकारी के आधार पर सिस्टम जनित व्यक्तिगत बन्ध पत्र/B&L फार्म को पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।

b. **अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC):-** विद्युत सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट "vidyutsuraksha org" पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन किया जा सकता है।

c. **अनुबन्ध पत्रः-** उपभोक्ता द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध अनुबन्ध पत्र के प्रारूप को रु० 100/- के शपथ पत्र (उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता 2005 (यथासंशोधित) के खण्ड 4.14 Agreement के अनुपालन में) पर प्रिंट तथा हस्ताक्षरित कर अपलोड किया जायेगा। उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्ध / शपथ पत्र की हार्ड कॉपी सम्बन्धित वितरण खण्ड कार्यालय को स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजी जायेगी।

d. LMV-1 श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा अपलोड किये जाने वाले व्यक्तिगत बन्ध पत्र में भार का विवरण देना आवश्यक नहीं है।

9. उपभोक्ता को वाछित प्रोसेसिंग शुल्क तथा अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि (additional Security amount) website पर ही प्रदर्शित की जायेगी जिसका उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जायेगा। अन्य किसी माध्यम (कैश, चेक, डी०डी०) से भुगतान नहीं किया जा सकेगा। प्रोसेसिंग फीस तथा अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि भुगतान के पश्चात सम्बन्धित वितरण खण्ड को बिलिंग सिस्टम पर भार वृद्धि आवेदन प्राप्त होगा।

10. (a) आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा आवेदन में दी गयी जानकारी व आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्रों की जाँच किये जाने पर यदि पाया जाता है कि वर्तमान विद्युत प्रणाली, आवेदित भार हेतु पर्याप्त है एवं प्राक्कलन की आवश्यकता नहीं है, तो तत्काल भार वृद्धि की जायेगी।

(b) अन्य प्रकरणो, जहाँ मीटरिंग वोल्टेज में परिवर्तन या Infra upgrade की आवश्यकता होगी में सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा प्राक्कलन धनराशि निम्नवत टाइमलाइन (विद्युत प्रदाय संहिता-2005 में प्राविधानित) के अनुसार website पर दर्ज की जायेगी

i.	50 कि० वा०/56 के०वी०ए० भार तक (230/400 वोल्ट पर) (मीटर परिवर्तन की स्थिति में केवल नये मीटर का मूल्य लिया जाना है)	07 -दिन
ii.	56 के०वी०ए० से अधिक 3,000 के०वी०ए० भार तक (11 के०वी० पर)	30 -दिन
iii.	3,000 के०वी०ए० से अधिक 20,000 के०वी०ए० मार तक (33 के०वी० पर)	30 -दिन
iv.	20,000 के० वी०ए० से अधिक (132 के0वी0 पर)	60 -दिन

(c) प्राक्कलन धनराशि के सम्बन्ध में उपभोक्ता को एस०एम०एस०/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा। उक्त प्राक्कलन धनराशि उपभोक्ता द्वारा निम्न समय-सीमा के अन्दर जमा की जायेगी-

I. बिन्दु 10(1) हेतु जहाँ केवल नये मीटर का मूल्य लिया जाना है 07 दिन

II. अन्य बिन्दु 10 (1), (iii) एवं (iv) हेतु 90 दिन

(d) उपरोक्त प्राक्कलन धनराशि भुगतान की सूचना बिलिंग सिस्टम से सम्बन्धित वितरण खण्ड को प्राप्त होगी।

(e) सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा लाइन निर्माण की सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) न होने के कारण आवेदन निरस्त किए जाने पर उपभोक्ता को ऑनलाइन पोर्टल पर एवं एस०एम०एस०/ ई-मेल द्वारा सूचित किया जायेगा।

(f) यदि LMV-1, LMV-2, LMV-4, LMV-6 या LMV-11 श्रेणी का उपभोक्ता वर्तमान भार में 24 किलोवाट तक की भार वृद्धि का अनुरोध करते हुये वांछित प्रोसेसिंग फीस एवं अतिरिक्त प्रतिभूति राशि (Additional Security Deposit) का भुगतान तथा बिन्दु 8 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करता है तो भार वृद्धि स्वतः पूर्ण हो जायेगी अर्थात् बिन्दु 10 (a) में उल्लिखित नियम लागू नहीं होंगे।

11. सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा भार वृद्धि की प्रक्रिया में यदि नेटवर्क अपग्रेडेशन / सुदृढीकरण (Strengthening) की आवश्यकता है, तो विभाग द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने की टाइमलाइन (विद्युत प्रदाय संहिता-2005 में प्राविधानित के अनुसार) निम्नवत होगी-

i.	50 कि०वा0/56 के०वी०ए० भार तक (230/400 वोल्ट पर)	-45 दिन
ii.	56 के०वी०ए० से अधिक 3,000 के०वी०ए० भार तक (11 के०वी० पर)	-60 दिन
iii.	3,000 के०वी०ए० से अधिक 20,000 के० वी०ए० भार तक (33 के०वी० पर)	-120 दिन
iv.	20,000 के०वी०ए० से अधिक (132 केवी पर)	-300 दिन

12. यदि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ बाछित प्रपत्र / संलग्नक, अप्राप्त/अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अपलोड पाये जाते है. तो इस सम्बन्ध में आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल पर एवं एस०एम०एस०/ ई-मेल द्वारा सूचित किया जायेगा। आवेदक को सूचना प्राप्त होने के पश्चात् 07 दिवसों के अन्दर यथावश्यक प्रपत्रों/संलग्नकों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

13. यदि लाइन निर्माण का कार्य उपभोक्ता द्वारा स्वय किया जाना है तो उपभोक्ता द्वारा लाइन निर्माण कार्य पूर्ण कराने के पश्चात विद्युत सुरक्षा निदेशालय से लाइन निर्माण के सम्बन्ध में एन०ओ०सी० प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी। यदि उपभोक्ता द्वारा गलत एन०ओ०सी० अपलोड की गयी है तो सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा उपभोक्ता को ऑनलाइन पोर्टल पर सूचित किया जायेगा

जिसके पश्चात उपभोक्ता पुन एन०ओ०सी० अपलोड कर सकेगा।

14. लाईन निर्माण की स्थिति में विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एन०ओ०सी० प्राप्त होने तथा अन्य स्थितियों में प्राक्कलन धनराशि जमा होने के उपरान्त नगर निगम क्षेत्र में 03, अन्य नगरीय निकाय क्षेत्र में 07 तथा ग्रामीण क्षेत्रो में 15 कार्य दिवसों में उपभोक्ता के परिसर पर नवीन भार के अनुसार मीटरिंग सम्बन्धित कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

15. भार वृद्धि हेतु आवश्यक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बिलिग सिस्टम पर उपभोक्ता का नवीन भार एवं आवश्यकतानुसार टैरिफ, Supply Type (ST), Meter Change आदि 03 दिन में परिवर्तित किया जायेगा।

(प्रशान्त वर्मा)
निदेशक (वाणिज्य)